मैसर्स हनिल एरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड

बनाम

मैसर्स प्यूरोमैटिक फिल्टर्स (पी) लिमिटेड

अप्रैल 16,2004

[एस. राजेंद्र बाबू और जी. पी. माथुर, न्यायाधिपतिगण]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:

धारा 20 (सी) और आदेश VII, नियम. 10 – वाद - न्यायालय का क्षेत्राधिकार – बहिष्करणीय खंड वाला समझौता - दो स्थानों पर उत्पन्न होने वाली कार्यवाही के कारण का हिस्सा- अभिनिर्धारित, मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, समझौते में उल्लिखित शहर की अदालतों के अधिकार क्षेत्र को अन्य सभी अदालतों के बहिष्कार तक सीमित करने का स्पष्ट इरादा था।

जिला न्यायाधीश, दिल्ली की अदालत में दायर एक खरीद आदेश के तहत बकाया की वसूली के लिए एक मुकदमे में, प्रतिवादी-अपीलार्थी ने धारा 20 सपठित आदेश VII नियम 10 और धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष्ा उचित प्रस्तुती के लिये वाद की वापसी के लिये एक याचिका यह कहते हुये प्रस्तुत की कि खरीद आदेश की शर्तो के अनुसार, जिस पर वादी ने सहमति व्यक्त की थी कानूनी कार्यवाही मुंबई की अदालतो के क्षेत्राधिकार के अधीन थी; और यहां तक कि उक्त शर्त से परे, माल की आपूर्ति के लिये अनुबंध मुंबई में पक्षकारो के

बीच दर्ज किया गया था जहां वादी द्वारा प्रतिवादी को अग्रिम भुगतान किया गया था। वादी ने दावा किया कि फॉर्म सीटी-3 की प्राप्ति के बाद माल को दिल्ली से एक ट्रांसपोर्टर के माध्यम से भेजा गया था, जो प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया था और दिल्ली में अर्जित कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा था। आवेदन को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, साथ ही उच्च न्यायालय द्वारा भी अपील खारिज कर दी गई थी। व्यथित होकर, प्रतिवादी ने वर्तमान अपील दायर की।

अपील को स्वीकार करते हुये, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : वर्तमान मामले में, कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा दोनों स्थानों पर अर्जित हुआ है। दिल्ली और मुंबई; और खरीद आदेश में एक खंड यह भी है कि आदेश से उत्पन्न होने वाली कोई भी कानूनी कार्यवाही मुंबई में अदालतो के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगी; हालांकि यह खंड "अकेले", "केवल" या "विशेष रूप" जैसे शब्दों से योग्य नहीं है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी द्वारा मुंबई में आदेश दिया गया था, बिक्री आदेश वादी के मुंबई स्थिति शाखा कार्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, अग्रिम भुगतान प्रतिवादी द्वारा मुंबई में किया गया था, और वादी के मामले के अनुसार अंतिम भुगतान मुंबइर्द में किया जाना था, अन्य सभी अदालतो को छोडकर मुंबई की अदालतो के अधिकारक्षेत्र को सीमित करने का स्पष्ट इरादा था। इसलिये, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय के पास मुकदमे की सुनवाई करने के लिए कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार नहीं था। [337 - बी-सी; 338-बी-डी]

हाकम सिंह बनाम गैम्मनो (इंडिया) लिमिटेड, [1971] 1 एस. सी. सी. 286, ए. बी. सी. लैमिनार्ट प्रा. लिमिटेड बनाम ए. पी. एजेंसियां, ए. आई. आर. (1989) एस. सी. 1239, को संदर्भित किया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 2490/2004

एफए नंबर 271/1998 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.12.2001 से

श्रीधर वाई चिताले, सुश्री दीपा सोमशेखर और अभिजात पी. मेध, अपीलार्थी क लिये।

सी. एस. एन. मोहन राव (एन. पी.), प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निर्णय जी.पी. माथुर, न्यायाधिपति द्वारा द्वारा दिया गया था। 1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 21/12/2001 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा 28.3.1998 को पारित आदेश VII नियम 10 सी. पी. सी. के तहत अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा अपील की गई थी।

3. अपीलार्थी हनील एरा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, न्यू एरा हाउस, मुगल लेन, माटुंगा, (पश्चिम), बॉम्बे ने मैसर्स पुरोमैटिक फिल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड 25/100, यशवंत नगर, गोरेगांव (डब्लू) बॉम्बे के साथ दिनांक 31/5/1995 क्रमांक:सी. ए./32/95 के जरिये 136

मोटे फिल्टर और 136 बारीक फिल्टर के खरीद का आदेश दिया। खरीद आदेश निम्नलिखित शर्तों में थाः

"प्रिय महोदय,

हम नीचे सूचीबद्ध सामग्री भागो को नियमो, शर्तो और निर्देशो, इसके विपरीत और संलग्नक, यदि कोई हो के अधीन आदेश करने में प्रसन्नता व्यक्त की है। कृपया एक सप्ताह के भीतर विधिवत हस्ताक्षरित डुप्लीकेट प्रति लौटाकर अपनी स्वीकृति स्वीकार करे।

तीस प्रतिशत राशि का भुगतान अग्रिम रूप से किया गया था। डिलीवरी निर्देशों में एक खंड शामिल था – सामग्री को न्यू एरा हाउस/पातालगंगा फैक्ट्री में वितरित करें। खरीद आदेश में उल्लेख किया गया था कि यह उस पर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन था। शर्त संख्या 17 इस प्रकार है:

" 17. क्षेत्राधिकार :

आदेश से उत्पन्न होने वाली कोई भी कानूनी कार्यवाही मुंबई में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगी"।

प्रतिवादी के अनुसार, उसने मैसर्स ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अपीलकर्ता को ऑर्डर की गई सामग्री भेज दी, लेकिन उसकी कीमत का भुगतान नहीं किया गया था। प्रतिवादी मेसर्स प्यूरोमैटिक फ़िल्टर्स प्रा. लि. लिमिटेड, 12, डी.एस.आई.डी.सी. स्कीम-।।, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-II, नई दिल्ली ने

तदनुसार जिला न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय में वाद संख्या 12/1997 रूपये 3,93, 344.80 और मुकदमा लंबित होने के दौरान, और वाद के प्रस्तुत किये जाने की तारीख से डिक्रीटल राशि की वसूली की तारीख तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष भविष्य के ब्याज की वसूली के लिये प्रस्तुत किया। वर्तमान अपील में विवाद वाद का विचारण करने के लिए दिल्ली में न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता के संबंध में है और वाद का पैरा 8 जिसमें इस संबंध में आवश्यक अभिकथन शामिल है, नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

"8. कार्यवाही का कारण दिल्ली में उत्पन्न हुआ है क्योंकि ऑर्डर किया गया सामान प्रतिवादी को उनके परिवहनकर्ता मेसर्स ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से वितरित किया गया था, माल का मूल्य प्रतिवादी द्वारा वादी को दिल्ली में भुगतान किया गया था और इस प्रकार इस माननीय न्यायालय के पास विवादग्रस्त मामले पर विचार करने और निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है।

4. अपीलार्थी (मुक़दमे में प्रतिवादी) ने विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा 20 सपठित आदेश 8 नियम 10 और धारा 151 सीपीसी के अंतर्गत यह प्रार्थना करते हुये दायर किया कि वाद संख्या 12/1997 को क्षेत्रीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिये वापस कर दिया जाये, जिसमें मुकदमा संस्थित किया जाना चाहिये था। आवेदन में मुख्य दलील यह थी कि स्थानीय खरीद आदेश नंबर सीए/32/95 दिनांक 31.5.1995 के खंड 17 के अनुसार आदेश से उत्पन्न होने वाली कोई भी कानूनी कार्यवाही बॉम्बे के न्यायालयों क्षेत्राधिकार के अधीन होगी और वादी द्वारा उक्त स्थानीय खरीद आदेश के नियमों और शर्तों को

स्वीकार करने के बाद, यह उक्त खंड से बाध्य था। यह भी तर्क दिया गया था कि क्रय आदेश के उपरोक्त खंड 17 के होते हुये भी, बॉम्बे में पक्षों के बीच मोटे फिल्टर और बारीक फिल्टर की आपूर्ति के लिए अनुबंध किया गया था और प्रतिवादी द्वारा बॉम्बे में वादी को 1,16,353.44 का अग्रिम भुगतान किया गया था। प्रत्यर्थी (वादी) ने इस आधार पर जवाब दायर किया कि प्रतिवादी ने उत्पाद शुल्क वाले सामान को हटाने के लिए एक प्रमाण पत्र (फॉर्म सीटी-3) जिसका क्रमांक सीसीईएक्स/केएफआईआई/एचईटीएल/95/116 दिनांक 13.1.1996 जारी किया था, जिसमें प्रतिवादी ने दिल्ली में वादी के कारखाने के परिसर से आदेशित सामान को हटाने की अनुमति मांगी थी और इस तरह दिल्ली की अदालत के पास मुकदमे की सुनवाई करने के लिए क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था। वादी ने इस बात से भी इनकार किया कि उसने खरीद आदेश के पीछे मुद्रित नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया है या वह खंड 17 से बाध्य है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि प्रश्नगत माल को प्रतिवादी के एजेंट को दिल्ली में वादी के कारखाने परिसर दिल्ली की ओर से सीटी-3 प्रमाण पत्र के तहत वितरित किया गया था।

5. दिल्ली के विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी द्वारा लिखित बयान दायर किए जाने के अभाव में, उन्हें वाद में लगाए गए आरोपों के आधार पर विवाद का फैसला करना था और विशेष रूप से जब वादी ने जोर देकर कहा था कि माल फॉर्म सीटी-3 के आधार पर दिल्ली में प्रतिवादी को दिया गया था, तो दिल्ली के न्यायालय के पास मुकदमे की सुनवाई करने के लिए क्षेत्रीय

अधिकार क्षेत्र था। उक्त आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय ने 21.12.2001 को खारिज कर दिया था।

6. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी ने प्रतिवादी (वादी) को 136 मोटे फिल्टर और 136 बारीक फिल्टर की बॉम्बे में आपूर्ति का आदेश जरिये खरीद आदेश संख्या सीए/32/95 दिनांक 31.5.95 को आदेश दिया और बॉम्बे में ही 1,16,353.44 रुपये का अग्रिम भुगतान किया गया था। वाद में किए गए कथन के अनुसार, अपीलार्थी (प्रतिवादी) ने फॉर्म सीटी-3 भेजा और उसके बाद वादी ने प्रतिवादी के निर्देशों के अनुसार मैसर्स ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से दिल्ली में अपने कारखाने से सामान भेजा। मूल दस्तावेज वादी के शाखा कार्यालय 25/100, यशवंत नगर, गोरेगांव (पश्चिम), बॉम्बे को भेजे गए थे, लेकिन प्रतिवादी ने दस्तावेजों को वादी के शाखा कार्यालय से वापस नहीं किया और अवैध रूप और अनाधिकृत रूप से भारतीय परिवहन निगम से माल की डिलीवरी ली। इन अभिकथनों से पता चलता है कि माल खरीदने का प्रस्ताव प्रतिवादी द्वारा बॉम्बे में किया गया था और इसे बॉम्बे में वादी के शाखा कार्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। अग्रिम भुगतान भी प्रतिवादी द्वारा बॉम्बे में किया गया था। इस प्रकार, कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा बॉम्बे में अर्जित हुआ। वादी के अनुसार, फॉर्म सीटी-3 की प्राप्ति के बाद माल को मैसर्स ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से दिल्ली से भेजा गया था, जो कि प्रतिवादी द्वारा भेजा गया। इस तरह, वादी का दावा है कि कार्यवाही का एक हिस्सा दिल्ली में उत्पन्न हुआ।

7. क्रय आदेश के खंड 17 का प्रभाव जिसमें उल्लेख किया गया है - आदेश से उत्पन्न होने वाली कानूनी कार्यवाही मुंबई के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगी, जिसकी उपरोक्त पृष्ठभूमि में जांच की जानी चाहिए। धारा 20 की उप-धारा (ए) और (बी) के तहत, प्रतिवादी का निवास स्थान या जहां वह व्यवसाय करता है या लाभ के लिए काम करता है, वह उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं का निर्धारण करता है जिसमें मुकदमा दायर किया जाना है। धारा 20 की उप-धारा (सी) में प्रावधान है कि मुकदमा स्थानीय सीमाओं के भीतर एक न्यायालय में स्थापित किया जाएगा, जिसके अधिकार क्षेत्र में कार्रवाई का कारण होगा, पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, उपार्जित होता है। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, वर्तमान मामले में, कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा दोनों स्थानों अर्थात दिल्ली और बॉम्बे में अर्जित हुआ था। हाकम सिंह बनाम गैमन (इंडिया) लिमिटेड, [1971] 1 एस. सी. सी. 286 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 'पक्षकारों के लिए यह खुला नहीं है कि वे अपने समझौते द्वारा किसी ऐसे न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करें जो संहिता के तहत उसके पास नहीं है। लेकिन जहां दो या दो से अधिक न्यायालयों के पास सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत किसी मुकदमे या कार्यवाही का मुकदमा चलाने के लिए अधिकार क्षेत्र है, पक्षकारों के बीच एक समझौता कि उनके बीच विवाद का मुकदमा ऐसे न्यायालयों में से किसी एक में किया जाएगा, सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं है। यह भी माना गया कि इस तरह का समझौता अनुबंध अधिनियम की धारा 28 का उल्लंघन नहीं करता है।

8. ए. बी. सी. में इसी प्रश्न की काफी विस्तार से जांच की गई थी। लैमिनार्ट प्रा. लिमिटेड वी. ए. पी. एजेंसियां, ए. आई. आर. (1989) एस. सी. 1239 (शीर्षक डी) और यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

"जब न्यायालय को निष्कासन खंड के अनुसार क्षेत्राधिकार के प्रश्न का निर्णय करना होता है, तो निष्कासन अभिव्यक्ति या खंड को उचित रूप से समझना आवश्यक होता है। अक्सर शर्त यह होती है कि अनुबंध को किसी विशेष स्थान पर बनाया गया माना जायेगा, यह प्रदान करेगा

उस अनुबंध पर या उससे उत्पन्न किसी भी विवाद के मामले में उस स्थान के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के लिये जोड़ने वाला कारक। हालाँकि, वास्तव में यह अन्य न्यायालयों की अधिकारिता को नहीं छीन लेगा। जहां एक निष्कासन खंड होता है, यह देखना उचित है कि क्या अन्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को हटा दिया गया है। जब खंड स्पष्ट, असंदिग्ध और अनुबंध की विशिष्ट स्वीकृत धारणाएँ पक्षों को बाध्य करेंगी और जब तक कि समझौते की अनुपस्थिति दिखाई जा सकती है, तब तक अन्य न्यायालयों को क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से बचना चाहिये। निष्कासन उपवाक्य या निर्माण जब 'अकेले', 'केवल', 'अनन्य' और इस तरह के शब्दो का उपयोग किया गया है तो कोई कठिनाई नहीं हो सकती है। उपयुक्त मामलों में ऐसे शब्दों के बिना भी कहावत 'एक्सप्रेसियो यूनिअस एस्ट एक्सक्लूसिओ अल्टेरियस' एक चीज की अभिव्यक्ति दूसरे का बहिष्कार है - लागू किया जा सकता है। उपयुक्त मामला क्या है यह मामले के तथ्यो पर निर्भर करेगा। ऐसे मामले मे एक चीज का उल्लेख दूसरे का

बहिष्कार हो सकता है। जब किसी अनुबंध में कुछ क्षेत्राधिकार निर्दिष्ट किये जाते है तो ऐसे मामलो में इसके संचालन से अन्य सभी को बाहर करने का इरादे का अनुमान लगाया जा सकता है। इसलिए इसका उचित अर्थ लगाना चाहिए। ”

इस दृष्टिकोण को एंजाइल इंसुलेशन बनाम डेवी एशमोर इंडिया लिमिटेड, [1995] 4 एससीसी 15 में दोहराया गया है।

9. खंड 17 कहता है - आदेश से उत्पन्न होने वाली कोई भी कानूनी कार्यवाही मुंबई में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह खंड "अकेले", "केवल" या "विशेष रूप से" जैसे शब्दों से योग्य नहीं है। इसलिए, यह देखा जाना चाहिए कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मुंबई के न्यायालयों को छोड़कर अन्य सभी न्यायालयों की अधिकारिता को बाहर रखा गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी द्वारा बॉम्बे में आदेश दिया गया था, उक्त आदेश को वादी के बॉम्बे स्थित शाखा कार्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, अग्रिम भुगतान बॉम्बे में प्रतिवादी द्वारा किया गया था, और वादी के मामले के अनुसार अंतिम भुगतान बॉम्बे में किया जाना था, अन्य सभी न्यायालयो को छोडकर बॉम्बे में अदालतों के अधिकार क्षेत्र को सीमित करने का स्पष्ट इरादा था। इसलिए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली के न्यायालय के पास मुकदमे की सुनवाई करने के लिए कोई क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार क्षेत्र नहीं था।

10. परिणामस्वरूप, अपील सफल हो जाती है और इसके द्वारा स्वीकार की जाती है। दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 21.12.2001 की पुष्टि के अनुसार अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, दिल्ली के आदेश दिनांक 28.3.1997 के आदेश को अपास्त किया जाता है। यहां प्रतिवादी द्वारा दायर किये गये वादपत्र को बॉम्बे में सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वापस करने का आदेश दिया गया है। कोई लागत नहीं।

अपील

स्वीकार की जाती है।

आर. पी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।